ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2019; 5(2): 252-254
www.allresearchjournal.com
Received: 16-11-2018
Accepted: 19-01-2019

माण्डवी कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, कामेश्वर,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
माण्डवी कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, कामेश्वर,
दरभंगा, बिहार, भारत

बाल विकास में जेंडर असमानताओं के आर्थिक तथा सामाजिक कारणों का मनौवैज्ञानिक अध्ययन

माण्डवी कुमारी

सारांश:
जेंडर असमानता एक सामाजिक अभिशाप है जिसमें बालक एवं बालिकाओं का शारीरिक एवं मानसिक शोषण होता रहा है। इस दृष्टि से यह अध्ययन लिंग आधारित बालक बालिकाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों से संबंधित आधुनिक समस्याओं एवं उनके गंभीर परिणामों की ओर संकेत करता है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक अथवा समग्र बाल विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाली रूढ़ीवादी अथवा पारंपरिक सोच की समीक्षा करना है। इसके अतिरक्त जनसाधारण के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना बेहद आवश्यक है ताकि बालक तथा बालिकाओं में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता को समूल नष्ट किया जा सके।

मूल शब्द :जेंडर असमानता, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, पूर्वाग्रह, बाल विकास, शिक्षा

प्रस्तावना

जेंडर आधारित भेदभाव एक प्रमुख समस्या है जो भारत की महिलाओं तथा बच्चों द्वारा सहन की जाती है। परंपरागत पितृसत्तात्मक रीतियां परिवारों एवं कार्यस्थल पर महिलाओं तथा बालिकाओं को निम्नतम स्तर प्रदान करती हैं । इस प्रकार जेंडर की अवधारणा को विकसित करने में विभिन्न कारकों सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक कारकों का सापेक्ष योगदान होता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में बच्चों की कुल संख्या 34.8 करोड़ से भी अधिक है यह देश की कुल जनसंख्या का 34% है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में बच्चों के हितों की सुरक्षा करने के स्पष्ट प्रावधान भी हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें समान रूप से शारीरिक तथा मानसिक विकास करने के समान अवसर प्राप्त हो तथा अपने सर्वांगीण विकास हेतु लिंग आधारित असमानताओं का सामना ना करना पड़े। इसके उपरांत भी देश में लिंग आधारित असमानता काफी प्रचलित हैं। मानव जगत में आशा, उमंगो एवं सपनों का सर्वोत्कृष्ट पुंज बालक को माना गया है । किसी भी देश के बालक बालिकाओं को यदि उस राष्ट्र के दर्पण के तुल्य कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी परंतु सामाजिक जीवन में बालकों के समग्र विकास की यह आशा केवल एक कल्पना के समान नजर आती है। एक ओर जहां छोटी उम्र में बच्चे अपने आर्थिक परिवेश में पिछड़ा जीवन जीने को मजबूर हैं वहीं दूसरी तरफ सामाजिक परिवेश में उपस्थित लिंग आधारित विभेद उनके बाल विकास को मनोवैज्ञानिक ढंग से अवरुद्ध कर रहा है। प्राय: सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं की तुलना में जेंडर समानता से ग्रसित बालक बालिकाओं का जीवन अत्यधिक पीड़ादायक और अभावों से भरा हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप कई बच्चे छोटी उम्र में ही

अपना बचपन त्याग चुके हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उनमें अशिक्षा, बेरोजगारी तथा बाल श्रम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

अध्ययन उद्देश्य

बच्चों में लिंग आधारित भेदभाव के आर्थिक कारणों का अध्ययन करना।

बच्चों में जेंडर असमानता हेतु उत्तरदायी सामाजिक कारणों का अध्ययन करना।

जेंडर असमानता के विरुद्ध सरकारी तंत्र के योगदान की समीक्षा करना।

जेंडर असमानता को प्रभावित करने वाले कारक

परिवार की भूमिका -

परिवार किसी भी राष्ट्र की सामाजिक संरचना की इकाई है अतः बालक के जन्म के समय पारिवारिक माहौल का बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। उसके जन्म से ही लिंग के आधार पर उसे पहचाना जाता है। परिवार से ही संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। परिवार लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशीलता तथा समान दृष्टिकोण जैसे क्रियाकलापों से बालक में लिंग संबंधी मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जन्म देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जेंडर संबंधी धारणाओं के विकास में बालक के आर्थिक कारको के रूप में परिवार की भूमिका दृष्टिगत होती है। [4]

अशिक्षा

वर्ष 2012 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि बालिका शिक्षा बच्चों के जीवन में सीधे तौर पर जुड़ी है भारत में लड़कियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराकर लाखों बच्चों की जिंदगीयों को बचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के करीब एक करोड़ 41 लाख बच्चे मौत के मुंह में समा गए। यदि भारत में सभी लड़कियों ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की होती है तो उक्त मौतों में 13 फ़ीसदी तक कमी आ सकती थी और यदि सभी लड़कियों ने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की होती तो होने वाली मौतों में करीब 60 फ़ीसदी तक की कमी हो सकती थी। इस प्रकार बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर निम्न तालिका के द्वारा वर्ष वार निमनवत है। [6]

तालिका 1: बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर प्रति वर्ष

क्रम संख्या	वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक	उत्क्रमित
1	1960- 61	70.9	85.0	NA
2	1970-71	70.9	83.4	NA
3	1980-81	62.5	79.4	86.6
4	1990-91	46.0	65.1	76.9
5	1992-93	46.7	65.2	77.3
6	1995-96	43.0	62.7	73.7
7	1996-97	40.9	59.5	73.7
8	1997-98	41.5	59.5	73.7
9	1998-99	42.3	59.3	73.0
10	1999-2000	42.3	58.0	70.6
11	2000-2001	41.9	57.7	71.7
12	2001-2002	39.3	56.9	68.6
13	2002-2003	33.7	53.5	65.0
14	2003-2004	28.6	52.5	65.0
15	2004-2005	25.4	51.2	64.0

तालिका-1 में दिए गए वर्ष वार आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लड़कियों के विद्यालय छोड़ने कि प्रतिवर्ष दर के आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि लिंग आधारित असमानता ऐसी स्थितियों को आधार प्रदान करता है। जिनके अंतर्गत लड़कियों को बोझ की तरह समझना, मातापिता का- अशिक्षित होना, पारिवारिक आय का कम होना, लड़का घर का सहारा बनेगा और लड़की पराया धन होने के कारण दूसरे घर को रोशन करेगी जैसी मानसिकता, बड़े परिवारों में छोटे भाई बहनों को पालने के कारण, परिवार में पढ़ाई हेतु बुनियादी सुविधाओं का अभाव, लड़कियों की जल्दी शादी इत्यादि जैसे लिंग आधारित कारक बालिकाओं को बालकों की तुलना में जेंडर आधारित असमानताओं ला शिकार बनाते हैं।

सामाजिक पूर्वाग्रह -

ग्रामीण परिवेश के बालक बालिकाओं के अभिभावकों में शिक्षा की कमी तथा समाज में प्रचलित कई पूर्वाग्रह जैसे लड़की के विवाह में दहेज देना, लड़की को बोझ समझना, कम उम्र में लड़की का विवाह कर देना, बालिकाओं पर घरेलू कामकाज करने का दबाव, बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को अनुपयोगी मान लेना जैसे बहुतेरे कारक समाज में जेंडर असमानता को बल देते हैं। लड़की एवं लड़कियां दोनों ही जेंडर आधारित कार्यों में समान रूप से भाग लेते हैं परंतु लड़कियां ज्यादा नुकसानदेह स्थिति में होती हैं क्योंकि उन पर महज 6 वर्ष की आयु से ही यह बोझ डाल दिया जाता है इसके साथ ही उनकी सुरक्षा की चिंता, उन्हें आगे बढ़ने और बचपन का आनंद उठाने के अवसरों से वंचित कर देता है। [1]

जेंडर आधारित शिक्षा -

जेंडर के अनुसार शिक्षा का विभाजन, भी जेंडर असमानता में सकारात्मक भूमिका निभाता है प्राय यह देखा गया है कि विद्यालयों में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कक्षा 11 में अतिरिक्त विषय के रूप में सौंदर्य कला, सिलाई-कढ़ाई, पेंटिंग, तथा गृह विज्ञान विषयों में से एक को चुनना होता है जबकि इनकी तुलना में लड़कों को बेसिक कंप्यूटर, टाइपिंग, पेंटिंग्स तथा शारीरिक शिक्षा विषय का चयन करना होता है । विषयों के चयन के अवसर को लेकर इस प्रकार के दोहरेपन से जेंडर असमानता की विचारधारा को बल मिलता है क्योंकि बालिकाओं को ही ऐसे विषयों में प्रशिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है जो जेंडर विभक्त समाज में उनकी भूमिका का निर्धारण करते हैं। [2]

विद्यालयी गतिविधियां -

सामान्यतः यह देखा गया है कि अधिकतर विद्यालयों में क्रीडा व्यवस्था लिंग आधारित होती है एक ओर जहां लड़कों के लिए दौड़ने भागने वाले खेल फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी खो-खो आदि के मैदान उपलब्ध होते हैं वहीं दूसरी ओर लड़कियों के लिए कैरम लूडो रस्सी कूद जैसी खेल व्यवस्थाएं हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जेंडर के विपरीत खेल की मांग करने पर उन्हें सीधे तौर पर मना कर दिया जाता है जिससे लड़के लड़कियों में लिंग आधारित भेदभाव उत्पन्न होने लग जाते हैं।

सरकार हेतु सुझाव-

- एक ऐसी राष्ट्रीय नीति का निर्वहन किया जाना अति आवश्यक है जो बालक एवं बालिकाओं के समग्र विकास हेतु तुरंत और उचित कार्यवाही करें।
- आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- ग्रामीण स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान को अत्यंत सुगम और सरल बनाया जाए।
- जेंडर समानता को बढ़ावा देने वाले अभिभावकों अथवा सामाजिक संगठनों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर ठोस कदम उठाए जाएं।
- NCERT को पाठ्य पुस्तकें लिखते अथवा तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों को कम उम्र से ही जेंडर संवेदनशील बनाना है तथा जेंडर आधारित पक्षपात से दूर रखना है जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को यह महसूस कराना है कि लड़कियां लड़कों से कम योग्य अथवा असमर्थ नहीं है।
- दूर क्षेत्रों में रह रही बालिकाओं को लाने और ले जाने की सुविधा निशुल्क रूप से प्रदान की जाए।
- जेंडर अंतर सिद्धांत की तर्ज पर लड़कियों को लड़कों की तरह सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी प्रवृत्तियों जैसे तार्किकता, प्रतिस्पर्धा विजय, उपभोक्तावाद जैसे मुद्दों पर जैंडर संवेदी शिक्षा दी जाए। [4]
- यूनेस्को द्वारा संचालित शिक्षा हेतु गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक लाया जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश का भी सर्वांगीण विकास हो सके।
- लिंगीय विवादों को समाप्त करने की दृष्टि से बनाए गए प्रशासनिक प्रयासों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष -

यह अध्ययन बालक बालिकाओं के समग्र विकास में बाध्यकारी जेंडर असमानता के प्रति हमारी भावी जिम्मेदारियों के निर्वहन पर बल देती है। बालक तथा बालिकाओं के लिंग में इसलिए भी भेद किया जाता है कि बालिकाओं की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे माता-पिता को उनकी चिंता सताने लगती है क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है । तथा जब तक सामाजिक रूढ़िवादी विचारों का उन्मूलन नहीं किया जाएगा तब तक समाज में जेंडर असमानता का विकास होता रहेगा अतः जनसाधारण कि दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना बेहद आवश्यक है ताकि बालक तथा बालिकाओं में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता को समूल नष्ट किया जा सके।

संदर्भ सूची-

1. दत्ता संजय, विजयवर्गीय दीपिका (2017), जेंडर विद्यालय एवं समाज, कविता प्रकाशन, जयपुर ।
2. दीप्ति जैन)2017(, लिंग विद्यालय एवम् समाज , राखी प्रकाशन आगरा ।
3. सुवालका दीपिका (2016), शिक्षा के लैंगिक मुद्दे, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
4. दीप्ति जैन (2017), लिंग विद्यालय एवम् समाज, राखी प्रकाशन आगरा ।
5. महिला पुलिस वालंटियर एक पुस्तिका, (2016), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ।
6. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय 2004-05